उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में एकीकृत ग्रामीण कार्यक्रम का कार्यान्वयन

2366. **श्री रशीद मसूद** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एकीकृत विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में योजनाओं का कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन प्रदेशों में इन योजनाओं के लिए निर्धारित धनराशि को दूसरी योजनाओं में व्यय कर दिया गया है ;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई सूचना मिली है ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव) : (क) जी नहीं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की राज्य सरकारों ने गत वर्ष के दौरान भौतिक और वित्तीय दोनों प्रकार से अर्थात् सहायता किए गए परिवारों की संख्या और निधियों के उपयोग के रूप में उन्हें दिए गए लक्ष्यों से अधिक उपलब्धि प्राप्त की है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत उनकी उपलब्धियां भौतिक दृष्टि से 105.45 प्रतिशत और 108.53 प्रतिशत तथा निधियों के उपयोग की दृष्टि से 11.06 प्रतिशत और 108.31 प्रतिशत है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति खपत

2367. **श्री रशीद मसूद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश में खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति खपत विश्व के अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ब्यौरा है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां।

(ख) तेल वर्षों 1983-84 से 1985-86 तक प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत खपत विश्व के 11 कि० ग्रा० के औसत की तुलना में लगभग 9.5 कि० ग्रा० है।

उपभोक्ताओं के संरक्षण की योजना

2368. **श्री रशीद मसूद** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में उपभोक्ताओं को संरक्षण देने के लिए योजना बनाकर उसे राज्य सरकारों को तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को भेजा है और यदि हां, तो उसकी क्या रूपरेखा है ; और

(ख) इस संबंध में राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) सरकार उपभोक्ता संरक्षण के कार्यक्रम को उच्च प्राथमिकता देती है। उपभोक्ता कल्याण को 20 सूत्री कार्यक्रम-86 में शामिल किया गया है। उपभोक्ता को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक उपभोक्ता संरक्षण कानून, अर्थात्